न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3013–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 90/12–13/अपील.

मातादीन पुत्र लालाराम
निवासी ग्राम गोहिन्दा
तहसील भितवरवार जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– जगदीश पुत्र लालाराम
2– कलियान सिंह पुत्र लालाराम
निवासीगण ग्राम गोहिन्दा
तहसील भितवरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.एस. गौड़, अभिषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 21/1/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 29 दिनांक 6–8–2007 में पारित नामांतरण आदेश दिनांकक 22–8–2007 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 10–9–13 को 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 90/12–13/अपील पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 96 (3) एवं 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अनावेदक कमांक 1 की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

गया । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्रों पर सुनवाई उपरांत दिनांक 10–7–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 7–8–14 को नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 96(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की गई थी कि सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील वर्जित है, जिसका निराकरण नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से आपत्ति किये जाने पर ही अनावेदक कमांक 1 की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं प्रकिया का पालन किये बिना ही आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पुस्तैनी है तथा वादग्रस्त भूमियां पृथक–पृथक ग्राम की अलग–अलग खाते की थी, जिन्हें इकट्ठा कर सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कूटरचित हस्ताक्षर किये गये हैं, आवेदक द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सेपरेट भूमि को बटवारे में शामिल कर बटवारा कराया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है, केवल अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आपत्तिकर्तागण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, अनावेदक कमांक 3 लगायत 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, कारण जिन व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, उनको सुनकर ही आदेश पारित करना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है । आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 96 (3) एवं 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र भी निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि पंजी पर हुए बटवारा आदेश को सहमति से पारित आदेश नहीं माना जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर